राजस्थान पत्रिका

Print

07 मई 2010, 01:03 hrs IST

डीम्ड विवि को राहत

नई दिल्ली। शिक्षण और बुनियादी ढांचे के निम्नस्तर को लेकर मान्यता समाप्ति का खतरा झेल रहे 44 डीम्ड विश्वविद्यालयों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को इन संस्थानों में नए दाखिल किए जाने पर रोक लगाए जाने से इनकार कर दिया।

न्यायाधीश दलवीर भंडारी और न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने इन 44 डीम्ड विश्वविद्यालयों में जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में नए दाखिले करने पर रोक लगाने के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया। शीष्ाü न्यायालय ने कहा कि वह इस तरह की कोई निषेधाज्ञा नहीं जारी कर सकता क्योंकि उच्चाधिकार प्राप्त टंडन समिति की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। प्रो. पी.एन टंडन की अध्यक्षता वाली इस समिति ने डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा बनाए रखने के जरूरी मानदण्ड पूरा न करने वाले इन 44 डीम्ड संस्थानों को अमान्य करने की सिफारिश की थी।

सरकार की तरफ से सालिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि कम से कम एक शर्त लागू की जाए कि नया दाखिला शीष्ाü न्यायालय में लम्बित मामले में अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा, लेकिन पीठ ने केन्द्र को कोई राहत नहीं दी।

पीठ ने कहा, 'समिति की वैधता को चुनौती दी गई है, पहले इस पर फैसला होना है। किसी निषेधाज्ञा जारी करने का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे लिए किसी रोक की आज्ञा जारी करना उचित नहीं होगा।' शीष्ाü न्यायालय ने संकेत दिया कि इस बात के आरोप हैं कि प्रोफेसर टंडन खुद एक डीम्ड विश्वविद्यालय के प्रमुख हैं और इसलिए उनका उस उच्चाधिकार समिति का प्रमुख होना उचित नहीं होगा, जिसने इन विश्वविद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की मांग की है। इस तरह पीठ ने सरकार और विश्वविद्यालयाें से 3 अगस्त तक इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने को कहा।

All Rights Reserved with Rajasthan Patrika ™, Kesargarh, Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur, Rajasthan, India
Phone: +91-141-39404142,3005662 , Fax: +91-141-2566011, Email : info@patrika.com